संख्या-500/2017/1781/22-2-2016-17(433)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री भोपाल निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34885/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक 05.09.2016 दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री भोपाल, निवासी-सोंहजनी, थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा चुनावी रंजिश एवं वादी के खिलाफ किसान सेवा सहकारी समिति लि0 के अध्यक्ष पद के अविश्वास प्रस्ताव में हार जाने के कारण चल रही रंजिश को लेकर दिनांक 29.05.2001 को बन्दी ने अपने 05 अन्य सहअभियुक्तो के साथ मिलकर कट्टे से 04 व्यक्तियों की हत्या का अपराध कारित किया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-856/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-4, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 26.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2016 तक 15 वर्ष 02 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 03 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 05 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजकुमार (बन्दी संख्या-13335) पुत्र श्री भोपाल, निवासी-जनपद-मुजफ्फरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-500/2017/1781/(1)/22-2-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in